न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम.के. सिंह**
सदस्य

प्रकरण कमांक रिव्यु 3011–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–2014 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 1762–दो/11.

1– रामदास पुत्र लालराम
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र लालाराम
3– दिनेश पुत्र लालाराम
निवासीगण ग्राम माना
तहसील बुदनी जिला सीहोर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल गुप्ता
निवासी ग्राम माना
तहसील बुदनी जिला सीहोर
2– बालकृष्ण गुप्ता पुत्र हीरालाल गुप्ता
3– रमेश पुत्र हीरालाल गुप्ता
4– सुरेश पुत्र हीरालाल गुप्ता
5– विनोद पुत्र हीरालाल गुप्ता
6– माखन
निवासीगण ग्राम माना
तहसील बुदनी जिला सीहोर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक एवं
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरया, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-9-2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी जिला सीहोर द्वारा अपर कलेक्टर सीहोर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया कि अनावेदक कमांक 1 ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सेवा से बर्खास्त तहसीलदार श्री एच.आर. पटेल द्वारा ग्राम माना स्थित भूमि सर्वे कमांक 14 रकबा 41.18 एकड़ पर अवैध कब्जा कर लिया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14–12–90 के तारतम्य में अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18–10–96 को आदेश पारित कर उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि पर लालाराम तथा माखन आदिवासी के पक्ष में फैसला दिया गया है, परन्तु तत्कालीन तहसीलदार श्री एच.आर. पटेल ने केवल लालाराम आत्मज महावीर प्रसाद जाति गाडरी के नाम नामांतरण कर दिया है और माखन आदिवासी का नाम छोड़ दिया है । मेरे द्वारा अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 12/बी–121/90–91 में पारित आदेश दिनांक 18–10–96 के अवलोकन उपरांत यह पाया गया है कि उक्त आदेश से अपर कलेक्टर द्वारा भूमि पर लालाराम एवं माखन उर्फ मटकू का नाम हीरालाल के स्थान पर दर्ज किये जाने एवं कब्जा देने के आदेश दिये गये, परन्तु प्रविष्टि पंजी कमांक 1/दिनांक 28–10–96 पर पारित आदेश दिनांक 28–10–96 से हीरालाल के स्थान पर अकेले लालाराम का नामांतरण किया गया है, अतः उक्त प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर हीरालाल के स्थान पर लालाराम एवं माखन का नामांतरण किया जाना उचित होगा । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 100/स्व.निग./05–06 दर्ज कर दिनांक 25–5–2012 को आदेश पारित कर नामांतरण पंजी प्रविष्टि कमांक 1/दिनांक 28–10–96 पर पारित आदेश दिनांक

28–10–96 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, बुदनी को वापिस किया गया कि तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–96 में दिये गये आदेशानुसार अभिलेख में अनावेदक लालाराम पुत्र महावीर के साथ–साथ माखन उर्फ मटकू पुत्र मेंगू के नाम भी नामांतरण किया जाये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1762–दो/11 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 से अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह आधार लिया गया था कि अपर कलेक्टर द्वारा लगभग 10 वर्ष के उपरान्त प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है, जो कि अत्यधिक विलम्बित है, परन्तु इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में पुनर्विलोकन का आधार उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि अपीलीय आदेश के विरूद्ध स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद अपर कलेक्टर द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 1/ दिनांक 28–10–96 पारित आदेश दिनांक 28–10–96 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, इस विधिक स्थिति पर भी इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 6 माखन द्वारा किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन नहीं किया गया है, यहां तक कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–96 के विरूद्ध भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम हो चुका था, जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर सहित इस न्यायालय द्वारा इस वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि जिस अनावेदक कमांक 1 ओमप्रकाश गुप्ता के आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, उसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय

तक प्रकरण प्रचलित रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, अतः उसे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं थी । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि जहां सूचना पत्र की तामीली कराई गई है, वहां आवेदकगण निवास नहीं करते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 6 द्वारा किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन नहीं किया गया है, और वे तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–96 परिवेदित पक्षकार भी नहीं हैं । यहां तक इस न्यायालय में भी उसके द्वारा पक्ष समर्थन नहीं किया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन. 362, 2013 आर.एन. 8, 1986 आर.एन. 80 2002 आर.एन. 462, 1996 आर.एन. 80, 2002 आर.एन. 161, 1989 आर.एन. 200, 1982 आर.एन. 101, 1973 आर.एन. 88 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 51 में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा नहीं बतलाया जा सका है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 के पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 6 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय की नामांतरण पंजी कमांक 1 पर पारित आदेश दिनांक 28–10–96 को वर्ष 2006 में लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है, जो कि अत्यधिक विलंबित कार्यवाही है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 362 शारदा बिहार विकास समिति विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 50–स्वप्रेरणा पुनरीक्षण–के लिए परिसीमा–जानकारी के दिनांक से 180 दिवस है–जानकारी के दिनांक से 19 वर्ष पश्चात ऐसी शक्ति का प्रयोग–प्राधिकारी को

मामला स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेने की शक्ति नहीं है–कार्यवाहियां अकृत तथा शून्य हैं ।''

इसी प्रकार 2013 आर.एन. 8 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 50–स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां–का प्रयोग–पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी कब आया–180 दिवस से बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।''

इसी प्रकार 1986 आर.एन. 80 हमीरसिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 50–स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग हेतु छह वर्ष से अधिक समय पश्चात कारण बताओ सूचना–ऐसी शक्तियां लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकती है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा लगभग 10 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में अभिलेख से परलिक्षित त्रुटि की गई है, अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29–5–2014 के पुनर्विलोकन का पर्याप्त आधार है, और अपर कलेक्टर एवं इस न्यायालय का आदेश इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय आदेश को अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पत्र पर स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है । अपर कलेक्टर के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 6 माखन द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 28–10–96 के विरूद्ध कोई अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है । इस प्रकार अपरोक्ष रूप से अपर कलेक्टर द्वारा अनावेदक की शिकायत पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 101 बालेश्वर प्रताप सिंह विरूद्ध विशम्भर सिंह तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 50–स्वयमेव पुनरीक्षण शक्तियां–कब प्रयोग की जा सकती हैं–नामांतरण का आदेश–आदेश अपील योग्य–कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं किया–शिकायत के आधार पर स्वयमेव पुनरीक्षण शक्तियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती ।"

इसी प्रकार 1981 आर.एन. 43 देवजानीबाई तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 51–पुनर्विलोकन के आधार–आपत्ति उठाई गई परन्तु निर्णय नहीं किया–सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचन नहीं–असंबद्ध विधि का प्रयोग–पुनर्विलोकन के आधार हैं ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 के पुनर्विलोकन का पर्याप्त आधार उपलब्ध है । अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 6 किसी भी न्यायालय में यहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय सहित इस न्यायालय में न तो उपस्थित हुआ है, न ही पक्ष समर्थन किया गया है, और न ही तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–96 के विरूद्ध अपील तक नहीं की गई है, इसलिएः अनावेदक कमांक 6 परिवेदित पक्षकार परिलक्षित नहीं होता है, और उक्त आदेश अंतिम हो गया है । चूंकि अनावेदक कमांक 6 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक आदेश पारित किया जा चुका है, इसलिए उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण को परेशान किया जा रहा है, जबकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की उसे कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के जिस आदेश को स्थिर रखा गया है, उसमें याचिकर्ता केवल लालाराम ही है और उसी की याचिका स्वीकृत हुई है । अपर कलेक्टर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 18–10–96 में नामांतरण किए जाने के कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं, केवल यह निर्देश दिया गया है कि हीरालाल का नाम कम कर उससे कब्जा अनावेदकगण को वापिस करें ।

अतः अपर कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर के पूर्व आदेश दिनांक 18–10–96 को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि अपर कलेक्टर द्वारा लालाराम एवं माखन का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा केवल लालाराम का नाम दर्ज किये गया है । इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 निरस्त किए किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 28–10–96 स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 एवं अपर कलेक्टर, सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 निरस्त किये जाते हैं । तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 1/28–10–96 में पारित आदेश दिनांक 28–10–96 स्थिर रखा जाता है । पुनर्विलोकन स्वीकार की जाती है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर